

फार्म नं एच-2

रेजें केस संख्या - 03/2020-21

सैदपुर रेंज

पेज नं० **3**

पुस्तक नं० **23**

वन विभाग 30 प्र० परिधि (वृत्त) सा० वा० पूर्वांचल-वाराणसी खण्ड (डिवीजन) सा० वा० प्रभाग गाजीपुर

भारतीय वन अधिनियम 1927 तथा संशोधित-2000  
को धारा-29 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1938 की धारा-2 प्र० सूचना (रिपोर्ट) सं०.....03.....दिनांक 29-12-2020 अधिक्षेत्र (राजि) सैदपुर  
अन्य अपराध 1938 की धारा-2

1- नाम, पिता का नाम और निवास स्थान ① रविशंकर सीनियर सेक्शन इंजीनियर कर्म (रेलवे) कर्म निभान वाराणसी  
② विरमल पाशवान सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलवे कर्म निभान वाराणसी  
③ अवलेश सिंह ठेकेदार रेलवे विभाग

2- साक्षी का नाम

① कैलाश पति यादव वन दरोगा  
② जितेश यादव वन रक्षक

3- कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक 29-12-2020

ओडिहार-जौनपुर रेल मार्ग पर रेलवे विभाग द्वारा रेलवे के ठेकेदार द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये कार्य करना

4- मूल्य

प्रभागीय निदेशक गाजीपुर वन प्रभाग  
की सेवा में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रेषित

*Sunny*  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
सैदपुर रेंज  
सा० वा० प्रभाग गाजीपुर

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) महीदय के सम्बन्ध में विशेष कथन

आज दिनांक 29-12-2020 को छत के दौरान ओडिहार-जौनपुर रेलमार्ग जेहेरीबांज डगरा फायक के पास रेलवे ठेकेदार द्वारा रेलवे लाइन दोहरीकरण हेतु मिट्टी बगिची का कार्य किया जा रहा था। उक्त कार्य करने के सम्बन्ध में कार्य से सम्बन्धित कागजात/परमिशन मांगा गया तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि कोई कागजात नहीं है। उक्त कार्य बिना भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये ही कराये जा रहे थे जो भारतीय वन अधिनियम 1927 तथा संशोधित-2000 की धारा-29 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1938 की धारा-2 का उल्लंघन है। कार्य को तत्काल रोक दिया गया।  
अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में सूचनाएँ प्रेषित हैं।

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

सन्तोष कुशवाहा  
वन दरोगा  
दिनांक 29-12-2020